राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–पं.3(2)शिक्षा–6 / 2015

जयपुर, दिनांकः–12.10.2015

आदेश

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा पॉलीटेक्नीक कॉलेज से दो या दो से अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी निर्धारण के क्रम में विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2015 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

1. कक्षा–10 की समकक्षता हेतु –
   1. कक्षा–आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा–10 के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
   2. उपरोक्त दोनो विषय हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा–10वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष मे तथा आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।
   3. आठवी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशो के पूर्व एवं पश्चात)कर चुके विद्यार्थी, दसवीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेगें।
2. कक्षा–12 की समकक्षता हेतु –
   1. कक्षा–दसवीं उत्तीर्ण होने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग(NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से बारहवी के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतुं बारहवी उत्तीर्ण के समकक्ष माना जावेगा।
   2. यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी, जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष मे उत्तीर्ण की हो। अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
   3. दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT)नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशो से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी, बारहवीं की समकक्षता हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगें।
   4. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्नीक कॉलेज से तीन वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फोर टैक्नीकल एजूकेशन(एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हे आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा बारहवी उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

3. संकाय निर्धारण :— बिन्दु संख्या 2 के सभी उक्त बिन्दुओं में वर्णित बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जायेगा।

(अशोक कुमार गुप्ता)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत एवं उच्च शिक्षामंत्री राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
14. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर/सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा दसवीं व बारहवीं की समकक्षता प्रदान करने हेतु विद्यार्थी के आवेदन करने की प्रक्रिया, फीस, परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन प्रमाण पत्र तथा प्रमाणीकरण आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे। उक्त जारी दिशा निर्देशों की प्रति निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक प्रशिक्षण (आईटीआई) राजस्थान जोधपुर को भी प्रेषित की जावें।
16. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान।
17. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
18. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान।
19. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष 0141–2709640, E mail: aspdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकःरामाशिप / जय / व्या.शि––रा.स / 2014–16 दिनांक

12 oct 15 sent

बैठक कार्यवाही विवरण दिनाक 16.09.2015

6 oct 15 Received

दिनांक 16.09.2015 को शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर की अध्यक्षता में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों(ITI) तथा पॉलीटेक्निक कॉलेज से दो या दो या से अधिक वर्षो में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी तिथि के निर्धारण के क्रम में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुयेः–

1. श्री जस्साराम चौधरी,अति0आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
2. श्रीमती सावित्री शर्मा, उपायुक्त, रामाशिप, जयपुर।
3. श्री आर.एस. विजयवर्गीय, संयुक्त निदेशक(अका.), कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. श्री दयाराम महरिया, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
5. श्री महेश शर्मा, प्रधानाचार्य, खेतान पॉलीटेक्निक कॉलेज, जयपुर।
6. श्री घासी राम विभागाध्यक्ष, पॉलीटेक्निक कॉलेज, जयपुर।
7. श्रीमती आशा गुप्ता, उपनिदेशक(व्या.शिक्षा.), रामाशिप, जयपुर।
8. श्रीमती अनुसुया गुप्ता, सहायक निदेशक(व्या.शिक्षा.), रामाशिप, जयपुर।

बैठक में सभी सदस्यों द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये पूर्व में जारी राज्य सरकार के शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक––पं.3(2) शिक्षा–6 / 2015 दिनांक 04.05.2015 में निम्नानुसार संशोधन तथा बिन्दुओं को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया––

01. कक्षा 10वीं की समकक्षता हेतु–

I. कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का National Council for vocational training (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान / राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से कक्षा 10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

II. उपरोक्त दोनो विषय (हिन्दी व अंग्रजी) की परीक्षा तथा आई.टी.आई की परीक्षा सम्मलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही 10वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व हिन्दी की

E-2

6.7.15

परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई.टी.आई. के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।

III. 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात NCVT के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी, 10वीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेगे।

02. कक्षा 12वीं की समकक्षता हेतु–

I. कक्षा 10वीं उतीर्ण होने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का National Council for vocational training (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।

II. यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।

III. 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात NCVT के दो या दो अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात)कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेगे।

IV. 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेकिनक कॉलेज से तीन वर्ष का All India Council for Technical Education(AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हे आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।

03.सकांय निर्धारण

I. बिन्दु संख्या–02 के सभी उप बिन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जावेगा।

04.दिशा–निर्देश जारी करना

I. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल,जयपुर द्वारा 10 वीं व 12वीं की समकक्षता प्रदान करने हेतु विद्यार्थी के आवेदन करने

की प्रकिया.फीस.परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन प्रमाण पत्र तथा प्रमाणीकरण आदि के संबंध में एक विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जावें
तथा दिशा–निर्देशों की प्रति निदेशक तकनीकी शिक्षा, जोधपुर, राजस्थान को प्रेषित की जावें।
अन्त मे धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

(जस्साराम चौधरी)
अति0आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपिः — निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
02. निजी सहायक,अति0आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
03. उपायुक्त, रामाशिप, जयपुर।
04. उपशासन सचिव शिक्षा(ग्रुप–6),सचिवालय, जयपुर।
05. संयुक्त निदेशक(अका.), कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
06. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
07. प्रधानाचार्य, खेतान पॉलीटेक्निक कॉलेज, जयपुर।
08. विभागाध्यक्ष, पॉलीटेक्निक कॉलेज, जयपुर।
09. उपनिदेशक(व्या.शिक्षा.), रामाशिप, जयपुर।
10. सहायक निदेशक(व्या.शिक्षा.), रामाशिप, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

अति0आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

Pg -3 .

5(407) ratup.

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

'एकलव्य भवन'

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

फोन : 0141–5150941 फैक्स : 0141–2705067

Website: http://www.rsos.rajasthan.gov.in e-mail: rajasthansos@gmail.com

संशोधित कार्यालय आदेश

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रामाशिप/जय/V.E.GOR/2015–16/17512 दिनांक 04.12.2015 के सन्दर्भ में इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 8(28)/अका./2015/8363–8418 दिनांक 02.11.2015 के बिन्दु संख्या 02 (कक्षा 12वीं की समकक्षता हेतु) के उप बिन्दु सं. 03 में **"हिन्दी व अंग्रेजी"** की परीक्षा के स्थान पर केवल **"अंग्रेजी की परीक्षा"** पढ़ा जावें।

(दयाराम महरिया)
सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर

क्रमांक:–प.8 (28)अका./2015/ 11139-95 दिनांक :– 01.01.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान।
5. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
7. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर को पत्र क्रमांक रामाशिप/जय V.E.GOR/2015–16/17512 दिनांक 04.12.2015 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
8. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
9. रक्षित पत्रावली।

DIRECTORATE OF TECH. EDUCATION
JODHPUR
R. R. No. 863
DATE 19-1-16

(शंकर लाल जांगिड़)
सहायक निदेशक (अकादमी)
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर

P/C C-2 14/01

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/2016/8070 दिनांक 14-3-16

संशोधित कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : पं. 3 (2) शिक्षा–6/2015 दिनांक 04.05.2015 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.10.2015 एवं इसके क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक रा.मा.शि.पं./जय/V.E. GOR/2015–16/17512 दिनांक 04.12.15 द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) तथा पॉलीटेकनिक कॉलेज से दो या दो से अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी निर्धारण हेतु बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक : ए.सी.ए./मा.शि.बो./2015/2979 दिनांक 03.06.2015 में आंशिक संशोधित व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :–

1. कक्षा–10 की समकक्षता हेतु –

(i) कक्षा– आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा–10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा–10वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जाएगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।

(iii) आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी दसवीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

E-2 2800 DTE 21/3/16

(iv) उपर्युक्त वर्णित बिन्दु सं. (i) से (iii) द्वारा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मा.शि.बो. राजस्थान, अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने पर बोर्ड कार्यालय से सशुल्क पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र में शामिल करना होगा।

2. कक्षा–12 की समकक्षता हेतु –

(i) कक्षा–दसवीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से बारहवीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जावेगा।

(ii) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

DIRECTORATE OF TECH EDUCATION
JODHPUR
R. R. No. 3016
DATE 22-3-16

(iii) दसवी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी बारहवीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्नीक कॉलेज से तीन वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फोर टैक्नीकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(v) उपरोक्त बिन्दु सं. (i) से (iv) में वर्णित परीक्षार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए बोर्ड कार्यालय से समकक्षता प्रमाण–पत्र सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

3. **संकाय निर्धारण :–** बिन्दु संख्या 2 के सभी उप बिन्दुओं में वर्णित बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जाएगा।

(मेघना चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– 8071–80

1. शासन सचिव, शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान।
5. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) एवं जि.शि.अ. (माध्यमिक)।
8. समस्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in

सचिव

कृपया पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान , अजमेर – 305 001 के नाम सम्बोधित कीजिए।

PBX Tel- 0145-2632866, 2632867, 2632868, 263289, 2632870, 2632871, 2632872, 2632873,

E – mail : secy-boser-rj@nic.in Web site – www. rajeduboard.nic.in